

Juvenile aid Bureau

759. SHRI SHANTI TYAGI : Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government are contemplating to set up a juvenile aid bureau in Delhi to prevent offences by the youngsters; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI GIRIDHAR GOMANGO) : (a) According to information provided by Delhi Administration they have a proposal for setting up a Juvenile Aid Bureau in the Crime Branch of Delhi Police.

(b) The Bureau is expected to help in prevention of offence relating to juveniles and extend protection to those in need of it.

ललितपुर, उत्तर प्रदेश में सूखे के कारण फसल की हानि

760. श्री शरद यादव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष और इस वर्ष आज तक सूखे के कारण देश में खरीफ और रबी की फसलों को कितना नुकसान पहुंचा है ;

(ख) उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले में सूखे के कारण कितने क्षेत्र में रबी और खरीफ की फसल नष्ट हो गई है और उससे कितनी वित्तीय हानि होने का अनुमान है ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने जिले में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय सरकार से कोई मदद मांगी है ; और

(घ) ललितपुर जिले में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए और किसानों को राहत देने के लिए क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र अकबाणा) : (क) राज्य सरकार ने सूचित

किया है कि 1986 के मानसून के बाद की अवधि के दौरान सूखे से 396.28 लाख हैक्टर की सीमा तक का सस्यगत क्षेत्र प्रभावित हुआ है।

(ख) सितम्बर, 1986 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए ज्ञापन के अनुसार सूखे से प्रभावित जिलों में से ललितपुर एक जिला है। खरीफ 1986 में 1.04 लाख हैक्टर का क्षेत्र प्रभावित होने की सूचना दी गई थी।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने ललितपुर जिला सहित 53 जिलों के सूखा राहत के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी है। सभी सूखे से प्रभावित जिलों में राहत संबंधी उपाय करने के लिए दिसम्बर, 1986 में 10.88 करोड़ रुपये के व्यय की अधिकतम सीमा मंजूर की गई थी। स्थिति की गम्भीरता के आधार पर प्रभावित जिलों में उचित योजनाएं बनाना तथा सहायता की धनराशि का आवंटन करना राज्य सरकार का कार्य है।

बेतवा नदी बोर्ड के श्रमिकों की दैनिक मजदूरी

761. श्री शरद यादव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जल संसाधन मंत्रालय के अधीन गठित बेतवा नदी बोर्ड के दैनिक वेतन भोगी श्रमिक केन्द्र सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी पाने के हकदार हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या दैनिक वेतन भोगियों को केन्द्र सरकार द्वारा निश्चित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार वेतन दिया जा रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उन नियमों का ब्यौरा क्या है जिनके तहत इन श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।